

1

क्रमांक 4213280/पार्ट
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष 0755-2552646, 2552878, फेक्स 2552406
ई-मेल-cao.eincwrdbpl@gmail.com

भोपाल दिनांक 01/09/2020

प्रति,

1. आयुक्त

भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर
परियोजना रीवा (म.प्र.)

2. समस्त मुख्या अभियंता

जल संसाधन विभाग (म.प्र.)

विषय :- मेसर्स रवि अग्रवाल कान्स्ट्रक्टर पोस्ट करगी रोड (कोटा) जिला बिलासपुर (छ.ग.) का अ-4 (चार) श्रेणी की अमानत राशि वापस करने के संबंध में न मांग प्रमाण-पत्र भेजने बाबत ।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4213280/पार्ट दि. 08.08.19, 24.10.19, 07.12.19, 06.02.20, 29.05.20 एवं दिनांक 10.07.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स रवि अग्रवाल कान्स्ट्रक्टर पोस्ट करगी रोड (कोटा) जिला बिलासपुर (छ.ग.) श्रेणी में पंजीयन किया गया था, जो कि निष्प्रभावी हो गया है । ठेकेदार द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें पंजीयन के समय जमा अमानत राशि रु. 20000/- (बीस हजार) एवं रु. 30000 /- (तीस हजार) वापस किये जावें ।

2. आपकी संरचना के अंतर्गत यदि ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की शासकीय राशि वसूल की जाना हो तो 15 दिवस में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
3. यदि फर्म / ठेकेदार से किसी प्रकार की वसूली की जाना हो तो कार्यपालन यंत्री द्वारा इस कार्यालय को फेक्स संदेश द्वारा अवगत कराया जावें ।
4. निर्धारित अवधि में यदि आपसे जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो यह मान्य किया जावेगा कि ठेकेदार/फर्म से किसी प्रकार की वसूली / बकाया नहीं है तथा अमानत राशि वापस कर दी जावेगी । इसके उपरान्त वसूली सूचित की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यपालन यंत्री की होगी ।

- 09/09/20 -
(संतोष मलिक)

कार्यपालन यंत्री (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल दिनांक 01/09/2020

पृ.क्र. 4213280/पार्ट

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल मध्य प्रदेश
2. समस्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग संभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01/09/20
(संतोष मलिक)

कार्यपालन यंत्री (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल